CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2026-8.584

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

आधुनिक वैश्विक युग में मानव अधिकार और भारतीय दर्शन

Mrs. Priyadarshni
Ph.D Scholar (Political science)
Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur (Raj.)
Email-priyadarshinisingh61@gmail.com, Mobile-9649761302

First draft received: 07.02.2026, Reviewed: 09.02.2026
Final proof received: 11.02.2026, Accepted: 15.02.2026

शोध सारांश

आधुनिक वैश्विक व्यवस्था में मानव अधिकारों की अवधारणा एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता, समानता तथा सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना है। मानव अधिकारों की जड़ें प्राचीन काल से ही भारतीय दर्शन में विद्यमान रही हैं। यद्यपि मानवाधिकारों की अवधारणा का व्यवस्थित विकास वर्तमान युग में 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से हुआ, तथापि इसके मूल तत्व भारत की प्राचीन चिंतन परंपरा में पहले से ही निहित रहे हैं।

आज संपूर्ण विश्व प्राकृतिक संतुलन से छेड़छाड़ तथा प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन के कारण एक चिंताजनक स्थिति में पहुँच चुका है। ऐसी परिस्थितियों में मानव मूल्यों, जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों के संरक्षण के साथ-साथ नैतिकता पर आधारित तकनीक का प्रयोग आवश्यक हो गया है, जिससे विनाश से बचा जा सके।

वैश्वीकरण की अवधारणा भी भारतीय दर्शन के लिए नवीन नहीं है। भारतीय दर्शन में "वसुधैव कुटुम्बकम्" की संकल्पना प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है, जिसका आशय है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो निवास तथा आवागमन का अधिकार भी इसी सिद्धांत पर आधारित है।

भारत में प्रचलित मूल्यों की सजीव अभिव्यक्ति इस तथ्य से भी होती है कि मुण्डकोपनिषद में वर्णित "सत्यमेव जयते" को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्तमान समय में शिक्षा को भी एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार माना गया है, किंतु यह भी ध्यान देने योग्य है कि केवल शिक्षा का अधिकार पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण तथा नैतिक शिक्षा की उपलब्धता भी आवश्यक है। भूलना नहीं चाहिए कि भारत प्राचीन समय से ही शिक्षा के क्षेत्र में विश्वगुरु रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से भी अधिक शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। आर्थिक रूप से असक्षम लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना प्राचीन समय से वर्तमान समय तक भारत में प्रचलित है। भारतीय संस्कृति या यूँ कहें कि भारतीय दर्शन प्राचीन काल से ही मानव अधिकारों पर बल देता आया है, जबकि पश्चिमी देशों में यह अवधारणा लगभग 100 वर्षों में ही अस्तित्व में आई है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय दर्शन के लिए मानव अधिकारों की अवधारणा सदैव से ही केंद्र बिंदु रही है।

आज मानवाधिकारों में निहित जीवन का अधिकार बौद्धिक अधिकारों की स्वतंत्रता, गुलामी से मुक्ति, शोषण से सुरक्षा, लैंगिक काम करने और काम के बदले उचित वेतन लेने जैसे सामाजिक-आर्थिक अधिकार भी शामिल हैं। आधुनिक युग में इंटरनेट तक पहुँच, निजता का अधिकार और डिजिटल स्वतंत्रता जैसे नए मानवाधिकारों पर चर्चा बढ़ती जा रही है। आधुनिक न्याय का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को पूरी सुरक्षा प्रदान करना है ताकि अपने व्यक्तिगत अधिकारों का पूर्ण विकास कर सके।

आधुनिक युग में मानवाधिकार केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि वास्तविक जीवन जीने के लिए एक अनिवार्य उपकरण की तरह तकनीकी प्रगति के साथ-साथ सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। वर्तमान वैश्विक युग में मानवाधिकारों का संरक्षण ही मानवता की सबसे बड़ी चुनौती है। जिस विश्व निरंतर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।

मुख्य शब्द : मानवाधिकार, धर्म, अर्थशास्त्र, रामचरित मानस, मनुस्मृति, दण्ड ।

प्रस्तावना

सभी जीवों में ईश्वर का वास, भारतीय दर्शन में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक अवधारणा को इंगित करता है. जो व्यक्ति की गरिमा और सम्मान पर जोर देते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21** में झलकता है.

अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। जो कि मानवाधिकारों का सार है। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र ने राजधर्म को अधिकृत किया कि वह मानव के सुख के लिए कार्य करे। वेदव्यास जी ने इस विषय में कहा है कि जो वेदों में घोषित किया गया और जो विधान स्मृति और पुराणों में किया गया है जब कभी उनमें मतभेद हो तो जो कुछ वेदों में घोषित किया गया है वह ठीक माना गया है।

शिक्षा का अधिकार

भारतीय दर्शन में, शिक्षा का विशेष महत्व रहा है. पुरातन काल से ही गुरुकुल अपना विशेष स्थान रखते थे जहां ऋषी-मुनी अपने शिष्यों को वेदों, पुराणों, स्मृतियों, मनुष्यों के कर्तव्यों, राज-पाठ व सामाजिक संबंधों के ज्ञान का हस्तांतरण करते थे. शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने हेतु कुछ नियमों का निर्माण किया गया था जिनका पालन सभी शिष्यों से वांछनीय था -

सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्।

सुखार्थी वा त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम्॥

इसका तात्पर्य है कि सुख की इच्छा रखने वाले के लिए विद्या नहीं जबकि वर्तमान में शासन तथा अभिभावकों द्वारा इसके विपरीत ही सभी साधन जुटा कर दिये जाते है.

काकुचेष्टा बकोध्यानम्, श्वाननिद्रा तथैव च । अल्पहारी, गृहत्यागी विद्यार्थी पञ्चलक्षणम् ।।

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं । विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरुणां गुरुः

भर्तृहरी द्वारा लिखित इस श्लोक से तात्पर्य है कि शिक्षा द्वारा ही मनुष्य की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति होती है, इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता. विद्या सभी गुरुओं की गुरु है. सभी को इसे ग्रहण करना चाहिए.

वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा को संवैधानिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। **अनुच्छेद 21-A** को **86 वें संविधान संशोधन (2002)** द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बालक-बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार मौलिक कर्तव्य में संविधान के **अनुच्छेद 51A(K)** के तहत, अभिभावकों और संरक्षकों का यह दायित्व है कि वे अपने 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

वर्तमान वैश्विक युग में, शिक्षा को न केवल साक्षरता प्राप्त करने के साधन के रूप में बल्कि एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार, शिक्षा ही वह आधार है जिससे सामाजिक-आर्थिक न्याय समता और व्यक्ति की गरिमा (मानव अधिकार) को स्थापित किया जा सकता है।

महिला अधिकार

भारतीय परम्परा में महिलाओं की स्थिति मिली जुली थी; वैदिक काल में उन्हें शिक्षा और समानता प्राप्त थी लेकिन बाद के कालों में बाल-विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और दहेज जैसी कुरीतियों के कारण उनकी स्थिति दयनीय हो गई, जहाँ उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया, हालाँकि कुछ शक्तिशाली रानियाँ व विद्वान् महिलाएँ भी थीं, पर आम महिलाओं की दशा खराब थी और वे पुरुषों पर निर्भर थीं।

वैदिक काल में लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी हुईं। इस काल में महिलाओं को वेदों का अध्ययन व यज्ञ करने का अधिकार था वे '**ब्रह्मवादिनी**' कहलाती थीं। उनकी स्थिति का हम मनुस्मृति के श्लोक से लगा सकते हैं- "**यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः**" अर्थात् जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। इससे स्पष्ट है कि नारियों को सम्मान दिया जाता था।

वर्तमान संदर्भ में, महिलाओं के मानवाधिकारों की स्थिति में कानूनी सुधारों के बावजूद, दुनिया भर में भेदभाव, हिंसा और असमानताएँ व्याप्त हैं, जिसमें कट्टरवाद और सत्तावादी शासनों से चुनौतियाँ बढ़ी हैं, हालाँकि, महिला मानवाधिकार रक्षक इस स्थिति को बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन लैंगिक समानता के लिए सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, पर बाल विवाह, कार्यस्थल पर भेदभाव और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी अब भी बड़ी चुनौती है।

सुख का अधिकार

महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तथा अन्य ग्रन्थों में राजा के समक्ष एक आदर्श प्रतिमान प्रजा के अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया। प्रजा के सुख में राजा का सुख, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। मार्कण्डेय पुराण में राजा मरुत की मातामही ने उसे सावधान किया है- राजा का शरीर सुख व आमोद प्रमोद के लिए नहीं बना है अपितु कर्तव्य निर्वहन करने तथा पृथ्वी की रक्षा करने के लिए हर कष्ट सहने के लिए बना है।

तुलसी दास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में उल्लेख है कि - जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो तप नरक अवश्य अधिकारी। अर्थात् जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वह राजा नरक का अधिकारी होता है। महत्वपूर्ण कथन यह है कि भारतीय संस्कृति में सुख को प्राप्त करने तथा उसकी उपलब्धता हेतु कार्य किये गये हैं।

नागरिकों के सुख को संविधान में भी अनेक अनुच्छेदों के माध्यम से स्थान दिया गया है। कई अनुच्छेद नागरिकों के कल्याण और सुख को सुनिश्चित करते हैं, जैसे **अनुच्छेद- 21** (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) जो गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। **अनुच्छेद-44** (समान नागरिक संहिता) जो सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का लक्ष्य रखता है, जो सामाजिक न्याय और सुख से संबंधित है, साथ ही, नागरिकता से संबंधित **अनुच्छेद 5-11** भी नागरिकों के दर्जे की बात करते हैं, और **अनुच्छेद-23** मानव तस्करी पर रोक भी नागरिकों के शोषण से बचाव करता है, जिससे उनके सुख की नींव बनती है।

दण्ड का अधिकार

मानवअधिकारों की रक्षा तथा संवर्धन हेतु दण्ड का अधिकार शास्त्र विहित तथा संविधान विहित है। राजा को सजा देने का अधिकार था चूंकि दण्ड ही राजा है, दण्ड ही पुरूष है, दण्ड ही शासन करने वाला है। दण्ड का उचित प्रयोग भी राजा का कर्तव्य था।

वर्तमान संदर्भ में दण्ड व्यवस्था का उद्देश्य अपराधियों को जवाबदेह ठहराना और समाज में न्याय स्थापित करना है, ताकि अपराध रुके और व्यवस्था बनी रहे। मानवाधिकारों का उद्देश्य व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। मानवाधिकार और दण्ड व्यवस्था के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है- समाज को अपराधियों से बचाने और न्याय करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार निरंकुश नहीं हो सकता; इसे हमेशा मानवाधिकारों की सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए। अन्यथा जब दण्ड मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है जैसे- बिना सुनवाई के सजा, अत्यधिक बल का प्रयोग या अमानवीय सजा, तो वह न्याय के उद्देश्य को विफल कर देता है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

भारतीय दर्शन में प्राचीनकाल से ही धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त थी। पर आज की भांति 'राज्य-प्रायोजित' धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। यह सामाजिक व्यवस्था और परम्परा का हिस्सा था। लोग प्रकृति के उपासक थे और अग्नि, इन्द्र, वरुण, जल व पशु-पक्षी की पूजा करते थे। जिसमें सामुदायिक सहिष्णुता थी। कोई एक धर्म थोपा नहीं जाता था और बहुदेववाद व व्यक्तिगत आस्था का मिश्रण था।

वैदिक काल में राज्य धर्म से तटस्थ था और हस्तक्षेप नहीं करता था जबकि आधुनिक भारत में राज्य धर्म निरपेक्ष है और सभी धर्मों का सम्मान करता है लेकिन लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर कुछ नियंत्रण रखता है।

निष्कर्ष

आधुनिक वैश्विक युग में, भारत अपने प्राचीन दार्शनिक मूल्यों (धर्म, अहिंसा) को बनाए रखते हुए, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जैसे वैश्विक मानकों को अपनाता है। भारत ने अपने संविधान और कानूनों के माध्यम से इन अधिकारों को लागू किया है, जो दर्शाता है कि वह अपनी संस्कृति और दर्शन के साथ-साथ एक न्यायपूर्ण और मानवीय विश्व व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जहाँ व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं।

संदर्भ सूची

1. महा उपनिषद्

2. मुंडकोपनिषद् 3/1/6

3. अर्थशास्त्र

4. भारत का संविधान, अनुच्छेद 21-A, भारत सरकार, 1950

5. मनुस्मृति, अध्याय 3/56

6. रामचरितमानस 2/70/6

7. भारत का संविधान, अनुच्छेद 21, भारत सरकार, 1950

8. भारत का संविधान, अनुच्छेद 44, भारत सरकार, 1950